

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 2508

18 09 2024

विषय: IS 2508: 2024 (पॉलीइथीलीन फिल्म और शीट विशिष्टि) में संशोधन का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 2508: 2016 को IS 2508: 2024 में संशोधित किया गया है। संशोधित IS 2508: 2024 के अनुपालन की अंतिम तिथि 21 फ़रवरी 2025 है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 2508: 2024 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और 21 फ़रवरी 2025 तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(इंद्रजीत सिंह) वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2)

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 2508 18 09 2024

Subject: Implementation of Revised Indian Standard 2508: 2024 (Polyethylene Films and Sheets — Specification)

This is to inform to all concerned that IS 2508: 2016 has been revised as IS 2508:2024. Last date of implementation of the revised IS 2508: 2024 is **21 February 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the revised standard immediately and ensure its implementation by **21 February 2025**.

(Inderjeet Singh) Scientist D (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices